न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्र0नं0 – 131/2024

बनाम : –

1. सुभाष पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी डोभी त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र जकुराम जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
2. रतनसिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी डोभी त0 भादरा।
3. बजरंग पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी डोभी त0 भादरा।
4. सुगनी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी डोभी त0 भादरा।
5. प्रेमकला पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी डोभी त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री उम्मेद मोठसरा **वादी**
श्री विनोद पूनियां प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 13/11/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 11 बीएचडी के खाता सं0 47/38 की कुल 0.759है0 एवं रोही मौजा चक डोभी बारानी के खाता सं0 113/107 की कुल 6.831है0 एवं खाता सं0 74/72 की कुल 1.707है0 प्रतिवादी रामकुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 5 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 6 की ओर से जवाब पेश किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सुभाष द्वारा मुख्य परीक्षा प्रस्तुत कर [illegible] किया गया व प्रस्तुत दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.21 16:59:37 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षगण सुनी गई। [illegible] वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 11 बीएचडी के खाता सं0 47 [illegible] की कुल 0.759है0 एवं रोही मौजा चक डोभी बारानी के खाता सं0 113/107 की कुल 6.831है0 एवं खाता सं0 74/72 की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

कुल 1.707है0 प्रतिवादी रामकुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के साथ साथ वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 11 बीएचडी के खाता सं0 47/38 की कुल 0.759है0 एवं रोही मौजा चक डोभी बारानी के खाता सं0 113/107 की कुल 6.831है0 एवं खाता सं0 74/72 की कुल 1.707है0 प्रतिवादी रामकुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। चूंकि प्रतिवादी सं0 4–5 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 11 बीएचडी के खाता सं0 47/38 की कुल 0.759है0 एवं रोही मौजा चक डोभी बारानी के खाता सं0 113/107 की कुल 6.831है0 एवं खाता सं0 74/72 की कुल 1.707है0 प्रतिवादी रामकुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार अकेले की बजाए वादी सुभाष प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार प्रतिवादी सं 02 रतनसिंह व प्रतिवादी सं0 3 बजरंग को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 4–5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.21 16:...
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 131/2024

अनवान : –

1. सुभाष पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी डोभी त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र जकुराम जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
2. रतनसिंह पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी डोभी त0 भादरा।
3. बजरंग पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी डोभी त0 भादरा।
4. सुगनी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी डोभी त0 भादरा।
5. प्रेमकला पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी डोभी त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री उम्मेद मोठसरा व वकील प्रतिवादीगण श्री विनोद पूनिया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 बीएचडी के खाता सं0 47/38 की कुल 0.759है0 एवं रोही मौजा चक डोभी बारानी के खाता सं0 113/107 की कुल 6.831है0 एवं खाता सं0 74/72 की कुल 1.707है0 प्रतिवादी रामकुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार अकेले की बजाए वादी सुभाष प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार प्रतिवादी सं 02 रतनसिंह व प्रतिवादी सं0 3 बजरंग को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 4–5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.21 16:59:37 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner